



Neutral Citation No. - 2026:AHC:7806

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 24933 वर्ष 2025

विकास

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : राहुल सिंह तोमर, योगेन्द्र पाल सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., मोहित कुमार बैसला

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र पाल सिंह, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहित कुमार बैसला तथा विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने की अवधि में मामला अपराध संख्या 36वर्ष 2025, धाराएँ 103(1), 238, 3(5) भा.न्या.स., थाना हस्तिनापुर, जिला मेरठ में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कथानक के अनुसार, आवेदक को 10/11.2.2025 की रात्रि में पप्पू त्यागी के नलकूप पर पाया गया, जहाँ उसने रवि शंकर का वध कर हत्या कारित की बताई जाती है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अपराध का कोई समय अंकित न होने के कारण वह विलंब से दर्ज की गई है।



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आवेदक को मृतक का वध करते नहीं देखा। उसके विरुद्ध एकमात्र साक्ष्य एक ओमपाल का है, जिसने नलकूप पर आवेदक को रक्त के धब्बे पोंछते और साफ करते देखा बताया जाता है। एक अन्य गवाह अजय भी सामने आया है, जिसने दोनों के बीच धन लेनदेन के विवाद के संबंध में बयान दिया बताया जाता है। तत्पश्चात एक गवाह सोनू को भी सम्मिलित किया गया है, परंतु उसके साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 13.2.2025 से जेल में बंद है और वह विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान राज्य विधि अधिकारी तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का घोर विरोध किया, परंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का खण्डन नहीं किया जा सका।
8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करते हुए एवं इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा मामले के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, न्यायालय का प्रथमदृष्टया यह मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
9. आवेदक विकास, जो उपरोक्त मामला अपराध में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा उसी राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों को दबाएगा/डराएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

12 जनवरी 2026

शालिनी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।